योजना का नाम– जनपद देहरादून, मसूरी नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत निजी वन घोषित वेवर्ली कॉनवेन्ट स्कूल इस्टेट में श्री मनोज कुमार काला एवं श्री अक्षत कुमार काला पुत्रगण स्व0 टीकाराम काला, निवासी– सुधा निवास, हरनाम सिंह रोड़, मसूरी, जिला– देहरादून के स्वामित्व की कुल 408.76 वर्ग मी0 भूमि है, जिसमें से 141.13 वर्ग मी0 अर्थात 0.014113 है0 क्षेत्र में प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भू–प्रत्यावर्तन की पुर्वानुमति लिए जाने का प्रस्ताव.

संलग्नक– 03

परिशिष्ठ

(देखिये नियम–6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1.	परियोजना विवरण :–	
क)	अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना /स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	**जनपद देहरादून, मसूरी नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत निजी वन घोषित वेवर्ली कॉनवेन्ट स्कूल इस्टेट में श्री मनोज कुमार काला एवं श्री अक्षत कुमार काला पुत्रगण स्व0 टीकाराम काला, निवासी– सुधा निवास, हरनाम सिंह रोड़, मसूरी, जिला– देहरादून के स्वामित्व की कुल 408.76 वर्ग मी0 भूमि है, जिसमें से 141.13 वर्ग मी0 अर्थात 0.014113 है0** भाग में प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भू–प्रत्यावर्तन की पुर्वानुमति लिए जाने का प्रस्ताव।
ख)	1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	प्रस्ताव के संलग्नक–8 पर संलग्न है।
ग)	परियोजना की लागत	परियोजना प्राक्कलन संलग्न–2 के अनुसार।
घ)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	प्रस्तावित आवासीय भवन का निर्माण कार्य।
ड.)	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	लागू नहीं।
च)	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	प्रस्ताव के संलग्नक–12 के अनुसार।
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरणः	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, परियोजना रिपोर्ट, तथा प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण कार्य का ले–आउट (मानचित्र) संलग्न है।
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	लागू नहीं।
	क) परिवारों की संख्या–	तदैव
	ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या–	तदैव
	ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	तदैव
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नही)	नहीं
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	प्रस्ताव में संलग्नक–26 के अनुसार।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावजेजों का ब्यौरा।	प्रस्ताव पर दी गई विषय सूची के अनुसार।

दिनांक– 11/06/2014.

(मनोज कुमार काला)
पुत्र स्व0 टीकाराम काला,
निवासी– सुधा निवास, हरनाम सिंह रोड़,
मसूरी, जिला– देहरादून।

भाग – II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या .....

7.	परियोजना स्कीम का स्थान	जनपद–देहरादून में मसूरी नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत निजी वन घोषित वेवर्ली कान्वेंट इस्टेट में श्री मनोज कुमार काला पुत्र स्व0 श्री टीकाराम काला के स्वामित्व की कुल 408.76 वर्गमीटर भूमि में से 141.13 वर्गमीटर अर्थात 0.014113 है0 भाग में प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु वन सरंक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भू–प्रत्यावर्तन की पुर्वानुमति लिये जाने का प्रस्ताव।
(i)	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	देहरादून
(iii)	वन प्रभाग	मसूरी वन प्रभाग
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टेअर में)	0.014113 है0
(v)	वन की कानूनी स्थिति	निजी वन भूमि (सन् 1966 के गजट अनुसार नोटिफाईड प्राईवेट फौरेस्ट इस्टेट) तत्संबंधी गजट की प्रति प्रस्ताव साथ चस्पा है।
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.1 से कम
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनानाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.–2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.–4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावक की भूमि पर बांज 50–60 व्यासवर्ग का 01 वृक्ष अवस्थित है। उक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक नहीं है। संलग्नक–4
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भूवैज्ञानिक की भूगर्भीय/भूतकनीकी आख्या प्रस्ताव के संलग्नक–5 पर चस्पा है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	स्थल के आस पास प्रस्तावक तथा अन्य व्यक्तियों की निजी भूमि है। प्रश्नगत स्थल के आस पास आरक्षित वन भूमि नहीं है, अपितु मसूरी वन्य जीव विहार प्रस्तावित स्थल से लगभग 5.00 किमी. दूरी पर है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है।(यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधिति की जाए)	नहीं। इस बावत प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक–24ए पर दिया गया है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न /विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती हैं। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक–22 पर दिया गया है।

8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद–वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक–21, पर दिया गया है तथा स्थलीय संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्नक–4) में भी इस आशय का उल्लेख है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी प्रस्तावित स्थल/निजी भूमि का स्थलीय निरीक्षण दि0 28–08–2014 को किया गया है। तत्संबंधी रिपोर्ट संलग्नक–4/1 पर है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	आवेदक के स्वामित्व की निजी भूमि कुल 408.76 वर्गमीटर भूमि में से 141.13 वर्गमीटर अर्थात 0.014113 है0 भाग में प्रस्तावित निर्माण कार्य किया जाना है। अतः प्रस्तावित भूमि 1 है0 से कम होने की दशा में क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाना लागू नहीं होगा। किन्तु प्रस्तावित स्थल के आस पास प्रस्तावक की ही खाली भूमि पर उचित वृक्षों के रोपण किये जाने हेतु तत्संबंधी प्रांकलन प्रस्ताव के **संलग्नक 26 ए** पर तथा प्रस्तावित कार्य को 1:50,000 के मानचित्र जो कि संलग्नक 8 पर है, प्रदर्शित किया गया है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	आवेदक के स्वामित्व की निजी भूमि कुल 408.76 वर्गमीटर है। जिसमें से 0.014113 हे0 भाग में प्रस्तावित निर्माण कार्य किया जाना है। अतः प्रस्तावित भूमि 1.00 है0 से कम होने की दशा में क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाना लागू नहीं होगा।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षों के रोपण हेतु चयनित स्थल को प्रस्ताव के संलग्नक–8 में दिये गये मानचित्र पर प्रदर्शित किया गया है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रांकलन प्रस्ताव के संलग्नक **26 ए.** है। जलवायु अनुकूल उचित प्रजाति के पौधों का रोपण किया जाना प्रस्तावित है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण लागू नहीं। किन्तु प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षों का रोपण किये जाने के संबंध प्रांकलन संलग्नक–26 ए पर है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	लागू नहीं।

DFO

11.	उप वन सरंक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	अधिकारियों, फील्ड स्टाफ, नगरपालिका परिशद मसूरी के प्रतिनिधि, प्रस्तावक की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट **संलग्नक–4** पर है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी प्रश्नगत भूमि का दि0 28–08–2014 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य हेतु अपेक्षित निजी वन भूमि अपरिहार्य और न्यूनतम है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	मसूरी वन प्रभाग/ जनपद–देहरादून
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	3088 वर्ग कि0मी0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	2116.91 वर्ग कि0मी0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 70 है। वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 501.6186 है0 है, इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 155.6089 है0 तथा अन्य क्षेत्र 346.0097 हैक्टेयर है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :– (ख) वनेतर भूमि परः–	(क) 192.5640 हैक्टेयर (ख) रिक्त
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	(क) 180.91 है0 में प्रभाग के अन्तर्गत क्षतिपूरक वनीकरण किया जा चुका है। (ख) –रिक्त–
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावक ने अपनी भूमि क्षेत्रफल 408.76 वर्गमीटर के सापेक्ष कुल 0.014113 है0 भाग में (गैर वानिकी कार्य) हेतु वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के तहत आवासीय भवन निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, ताकि प्रस्तावित कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एंव स्थानीय विधि एंव नियमों/उप नियमों के परिप्रेक्ष्य में एम0डी0डी0ए0 एवं टाउन प्लानर के स्तर पर अनुमति दी जा सके। मसूरी स्थित **वेवर्ली कान्वेंट स्कूल इस्टेट** सन् 1966 के गजट नोटिफिकशन में दी गयी सूची के कमांक **84** के अनुसार प्राईवेट फौरेस्ट इस्टेट के रूप में नोटिफाईड है। अतः वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य करने की पूर्वानुमति निर्गत करने संबंधी प्रस्ताव अग्रेतर कार्यवाही व विचारार्थ संस्तुति के साथ अग्रसारित किया जाता है।

हस्ताक्षर–

नामः– (डा0 धीरज पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

दिनांकः – –2014

स्थानः– मसूरी।